पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के अन्तर्गत कृषक प्रजातियों के पंजीकरण की प्रक्रिया

डॉ. दीपक शर्मा
डॉ. सत्यपाल सिंह
समरथ बघेल
आशीष कुमार तिवारी
डॉ. परमेश्वर कुमार साहू

डॉ. जे. सी. राणा
डॉ. एस. अहलावत
सोनल डिसूजा
डॉ. रविंद्र तिग्गा
श्री. आर. एस. राजपूत

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
कृषक नगर, रायपुर - 492 012 छत्तीसगढ़

2019

विशिष्ट कृषक प्रजाति पुस्तक का प्राधिकरण द्वारा विमोचन

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम २००१ के अन्तगर्त कृषक प्रजातियों के पंजीकरण की प्रकिया

कृषक कि परिभाषाः–

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार कृषक वे व्यक्ति है :–

- जो स्वयं के खेत में खेती करते है।

  या

- किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपनी देख–रेख में स्वयं की भूमि में खेती करवाते है।
- आप फसलों की परंपरागत किस्मों/भू–प्रजातियों या जंगली किस्मों के उपयोगी गुणो की पहचान एवं चयनकर उन्हें संरक्षण प्रदान करवाते है।

कृषक के अधिकार क्या है?

- फसलों की किस्मों के बीज को बोने का, बचा के रखने का, अन्य कृषको के साथ उसकी अदला बदली करने का, पुनः बोने का ब्रांडेड बीज को छोड़कर बेचने का पूर्णतः अधिकार है
- यदि संरक्षित कृषक प्रजाति का उपयोग कोई कम्पनी या संस्था द्वारा बिना कृषक की अनुमति नहीं कर सकते और अधिनियम के तहत उस कम्पनी या संस्था को अपने लाभ साझेदारी कृषक के साथ करनी होगी तथा
- संरक्षित कृषक प्रजाति का सही मूल्य किसान को मिलेगा।
- यदि भू–प्रजातियों/कृषक प्रजातियों में कोई दुर्लभ गुण है तो वह कृषक (1.50 लाख) और कृषक समूह/समुदाय (10 लाख) के पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते है।
- कृषको द्वारा कृषक प्रजाति के पंजीकरण की प्रकिया पूर्ण रूप से निःशुल्क है

- यदि आवेदित कृषक प्रजाति की जानकारी प्रदान करने में कृषक द्वारा कोई त्रुटि हो जाती है तो कृषक के लिए किसी प्रकार की सजा का प्रवधान नही है।
- संरक्षित किस्म का संरक्षण दर्शाऐ गुणों जैसा नहीं है या अच्छा ना होने पर कृषक का अधिकार कृषक द्वारा किसी संरक्षित किस्म का बीज उपलब्ध ना होने पर प्राधिकरण द्वारा उस किस्म का अधिकार अन्य

कृषक प्रजाति क्या है :–

- यह वह प्रजाति है जो कृषकों द्वारा परम्परागत रूप से विकसित की गई है या उगायी जा रही है।
- यह फसलों की ही ऐसी जंगली किस्म या भू–प्रजाति है जिसके बारे में कृषक को पारम्परिक एवं सामान्य ज्ञान हासिल हो।
- कृषक प्रजाति के आवेदन एवं पजीकंरण में किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूप से निःशुल्क है।

कृषक प्रजातियों का क्या महत्व है :–

- चूंकि कृषक प्रजाति परंपरागत किस्मों/भू–प्रजातियों या जंगली किस्मों से विकसित की जाती हैं, अतः इनमें कीट–व्याधि प्रतिरोधक क्षमता, सूखा सहने की क्षमता, जल–भराव सहने की क्षमता, पाला पड़ने से सहशीलता आदि जैसे बहु उपयोगी गुण है
- अधिक सुगंध, औषधीय गुण जैसी अनेकों विशेषताएं प्राकृतिक रूप से ही पायी जाती हैं, जो कृषि एवं कृषि उत्पादन को नए आयाम देने में सक्षम हैं। जो की इन किस्मों में निहित है।
- भू–प्रजाति/कृषक प्रजातियॉ पोषक तत्वों से परिपूर्ण एवं आहार की संतुष्टि प्रदान करने वाली पाई गयी है।

- इसके अतिरिक्त कृषक प्रजातियो में मौजूद विवेधक गुण है जो जैव विविधता को भी दर्शाती हैं।

पौधा किस्मों एवं कृषक किस्मों की सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है? :–

- किस्मों के प्रजनन संबंधी कार्य और नई किस्मों के उपयोग द्वारा ग्रामीण आय को सुधारने तथा उनके समग्र आर्थिक विकास के लिए एक निर्णायक घटक है।
- पौधों के प्रजनन की किया लंबी और महंगी है, अतः समाज के लाभ के लिए पौधों की नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पौधा किस्मों की सुरक्षा की एक प्रणाली का उपलब्ध होना बहुत महत्वपूर्ण है।
- कृषक अथवा कृषक समूह वर्षो से अपनी पारंपरिक किस्मों की खेती करते रहे है एवं किसानो की इन किस्मों को अगर कोई अन्य संस्थान उपयोग में लाता है तो उसका लाभांश उस संस्थान को कृषक अथवा कृषक समूह को देना होगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर कृषकों को इन किस्मों के सुरक्षा हेतु सम्मान एवं पुरूष्कार का अधिकार मिलेगा।

पंजीकृत पौधा किस्म की सुरक्षा की अवधि क्या है?

- विभिन्न प्रकार की फसलों की विभिन्न पंजीकृत किस्मों की सुरक्षा की अवधि निम्नानुसार हैः

		आरभिक अवधि	बढ़ी अवधि
1.	वृक्ष और लताएं – 18 वर्ष	9	9
2.	अन्य फसलों के लिए –15 वर्ष	6	9

- वर्तमान में अधिसूचित किस्मों के लिए बीज अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अंतगर्त अधिसूचना की तिथि से 15 वर्ष।

वे गुण कौन–से हैं जिनका उपयोग किसी किस्म को विभेदित करने में किया जा सकता हैं?

- कोई भी नई किस्म कम से कम एक अनिवार्य गुण में अन्य किस्मों से अलग होनी चाहिए।

पौधा किस्म के पंजीकरण के लिए आवेदन–पत्र भरने के लिए पहले से क्या–क्या तैयारियां होनी चाहिए?

- ऐसी किस्म को अभिधान (कोई नाम) दिया जाना चाहिए।
- अभिधान कोई व्यापार चिन्ह या कोई प्रचलित नाम जैसे एच. एम.टी., बासमती आदि नही होना चाहिए। वह पुर्णतः नवीन या भू–प्रजाति के वास्तविक नाम वाला होना चाहिए।
- अभिधान का नाम कृषक / कृषक समूह / कृषक समुदाय और गॉव / शहर के नाम से नहीं होना चाहिए।
- पंजीकृत प्रजाति से जुड़े पारम्परिक ज्ञान की पूर्ण रूप से अलग पृष्ठ पर उल्लेखित करना अनिवार्य है।
- हर फसल की विशेषताओं का समूह (ग्रुप ऑफ करेक्टर्स) पी. पी.व्ही. एवं एफ.आर.ए., नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित किये गऐ हैं, तथा आवेदन में क्र. 5 में भरे जाने होते है, अभिधान के फोटो के साथ। कृषक भाई इन्हें भरने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञ से मार्गदर्शन ले। (उदाहरण स्वरूप : विशेषताओं का समूह की प्रतिलिपि तालिका क्र. 2 संलग्नित है)

कृषक किस्म के पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

- कृषक : एकल कृषक (जो व्यक्ति कृषक की परिभाषा को पूर्ण करता है)
- कृषक समूह :
- कृषक समुदाय : कृषक समुदाय से तात्पर्य किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की पहचान रखता है।

कृषक किस्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा कार्यालय है?

- पौधा किस्मों के पंजीकरण के लिए आवदेन रजिस्ट्रार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली से किया जा सकता है।
- इस कार्यालय का पता है : रजिस्ट्रार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, सोसायटी ब्लॉक, दूसरा तल, एन.ए.एस.सी. परिसर, डी.पी. एस. मार्ग, टोडापुर के निकट, नई दिल्ली– 110012.

कृषक किस्म का पंजीयन हेतु प्रमुख सुझाव :–

- बिन्दु क्र. 4 : फसल का सामान्य नाम एवं वानस्पतीय नाम के लिए तालिका क्र. 1 का उपयोग करें।
- बिन्दु क्र. 4 : अभिधान भरने हेतु स्वंय के नाम का गॉव, तहसील, जिला या कोई ब्रान्ड जैसे एच.एम.टी या बासमती का उपयोग न करें तथा नवीन नाम का उपयोग करें।
- उपाबंध –1 के बिन्दु क्र. 3 क एवं ख को निम्न अनुसार भरें।

उपाबंध – 1

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का पृष्ठांकन

1. आवेदक कृषक / कृषक समूह / कृषक समुदाय का / के नाम .....
.....

क्रम सं.	उपनाम सहित नाम / समूह का नाम / समुदाय का नाम	स्थायी पता

2. किस्म का अभिधान : .....

3 क. (व्याष्टिक कृषक आवेदक को लागू)

मैं घोषित करता हूं कि मैं .....1..... राज्य के ..... 2..... जिसमें..... 3..... स्थानीय निकाय/पंचायत के अंतर्गत आने वाने गांव ..... 4..... में पिछले अनके वर्षो से स्थायी किसान रहा हूं और यह कि मैं और मेरा परिवार..... 5.....वानस्पतिक प्रजाति (फसल का सामान्य नाम) की ..... 6..... प्रकार के अंतर्गत ..... 7..... रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत् संरक्षक है।

3 ख. (आवेदक कृषकों के समूह/समुदाय को लागू)

हम घोषित करते है कि हम ..... 1..... राज्य के ..... 2.....जिले में ..... 3..... .स्थानीय निकाय/पंचायत के अंतर्गत आने वाने .....4..... गांव में पिछले अनके वर्षो से स्थायी किसान रहे हैं और यह कि हम वानस्पतिक प्रजाति के प्रकार (फसल का सामान्य नाम) के अंतर्गत ....5.....रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत् संरक्षक है। हम अपने समूह/समुदाय की ओर से श्री ..... 6..... पुत्र श्री .....7..... (नाम) को जो हमारे समूह/समुदाय का सदस्य है और .....8..... (पूरा डाक पता) का स्थायी निवासी है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अपने पक्ष में अभ्यर्थी किस्म का रजिस्ट्रीकरण करवाने के सीमित प्रयोजन के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने तथा हस्ताक्षर करने के लिए के लिए प्राधिकृत करते हैं।

तारीख .....

स्थान .....

बिन्दु क्र. 3 क को भरने की जानकारी

1 कृषक का नाम
2 राज्य का नाम (छत्तीसगढ़)
3 जिला / विकासखण्ड / पंचायत
4 गॉव का नाम
5 वानस्पतिक नाम (तालिका क्र. 1 में निहित है)
6 फसल का सामान्य नाम (तालिका क्र. 1 में निहित है)
7 कृषक प्रजाति का नाम (अभिधान)

बिन्दु क्र. 3 ख को भरने की जानकारी

1 कृषक समुह / समुदाय का नाम
2 राज्य का नाम (छत्तीसगढ़)
3 जिला / विकासखण्ड / पंचायत
4 गॉव का नाम
5 कृषक प्रजाति का नाम (अभिधान)
6 समूह / समुदाय के मुखिया का नाम
7 मुखिया के पिता का नाम
8 पूरा डाक पता

आवेदन के अन्त में सत्यापन हेतु सुझाव :–

निम्नलिखित अधिकारीयों द्वारा सत्यापित आवेदन ही मान्य हैं।

- संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष व सचिव
- संबंधित जिला कृषि अधिकारी
- अनुसंधान निदेशक
- संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के विस्तारण का निदेशक
- संबंधित जिला जनजातीय विकास कार्यालय के आंचलिक परियोजना निदेशक

तालिका क्रमांक 1

क्र.	समूह	सामान्य नाम	वानस्पतिक नाम
1	**अनाज की फसलें**	चावल	*ओराइजा सेटाइवा एल.*
2		गेहूं	*ट्रिटिकम एस्टिवम एल.*
3		ड्यूरम गेहूं	*ट्रिटिकम ड्यूरम डैस्फ.*
4		डाइकोकम गेहूं	*ट्रिटिकम डाइकोकम एल.*
5		अन्य ट्रिटिकम प्रजातियाँ	*ट्रिटिकम प्रजातियां*
6		मक्का	*जी मेज एल.*
7		ज्वार	*सोरघम बाइकलर (एल.) मोयंक*
8		बाजरा	*पेनीसेटम ग्लाउकम (एल.) आर.बी.आर.*
9		जौ	*होर्डेयम वल्गेरे एल.*
10		रागी	*एल्यूसीन कोराकाना (एल.) गेइर्टन*
11		कंगनी	*सेटेरिया इटालिका (एल.) बियूव*
12		कूटू	*फैगोपाएरम एस्क्युलेंटम*
13			*फैगोपाएरम टाटारिकम*
14		चौलाई दाना	*एमरेंथस ह्यपोकोन्ड्रिक्स*
15			*एमरेंथस करेंटुस*
16			*एमरेंथस कौदाटस*
17			*एमरेंथस एड्यूलिस*
18		झंगोरा / साँवा	*इचिनो क्लोआफ्रूमेन्टेसीएए रॉक्सब. लिंक*
19		कोदों	*पस्पलूम स्कोर्बिकुलटुम एल.*
20		कुटकी	*पनिकम सुमात्रेंस रोथ एक्सरोमर एंडस्चूलतेस*
21		बर्री / चेना	*पनिकम मालिया सी.एम.एल.*
22	**दलहन और फलियां फसलें**		*अरहर कब्जानस कब्जन (एल.) मिल्स्प*
23		मूंग	*विग्नारेडिएटा (एल.) विल्कजैक*
24		उरद	*विग्ना मूगो (एल.) हैप्पर*
25		मसूर	*लैंसक्यूलीनेरिस (एल.) मैडिक*
26		मटर	*पाइसम सटाइवम एल.*
27		राजमा	*फैसियोलस वल्गेरिस एल.*

28		चना	*साइसर एरिटिनम एल.*
29	**रेशे वाली फसलें**	द्विगुणित कपास	*गोसिपियम आर्बोरियम एल.*
30			*गोसिपियम हार्बेरियम एल.*
31		चर्तुगुणित कपास	*गोसिपियम हिर्सुटम एल.*
32			*गोसिपियम बार्बेडेंस एल.*
33		जूट	*कार्कोरस ओलिटोरियस एल.*
34			*कार्कोरस कब्प्सुलेरिस एल.*
35	**शर्करा फसल**	गन्ना	*सैक्रम एल.*
36	**तिलहन फसलें**	सरसों	*ब्रैसिका जुंसिया एल. सीजर्नएवंकॉस*
37		करण राई	*ब्रैसिका कबरिनाटा ए. ब्राउन*
38		रेपसीड (तोरिया)	*ब्रैसिकारैपा सिन. बी. कम्पैस्ट्रिस, ब्रैसिकारैपा किस्म ब्राउन सरसों, ब्रैसिकारैपा किस्म पीली सरसों, ब्रैसिकारैपा किस्म तोरिया*
39		गोभी सरसों	*ब्रैसिका नैपस एल.*
40		सूरजमुखी	*हेलिएंथस एनस एल.*
41		कुसुम	*कार्थेमस टिन्कटोरियस एल.*
42		अरंडी	*रेसिनस कम्युनिस एल.*
43		तिल	*सीसेमम इंडिकम एल.*
44		अलसी	*लिनुमसिटा टिसिमम एल.*
45		मूंगफली	*एरेकिस हाइपोजिया एल.*
46		सोयाबीन	*ग्लाइसीन मैक्स (एल.) मैरिल*
47	**मसाले वाली फसलें**	काली मिर्च	*पाइपर नाइग्रम एल.*
48		अदरक	*जिंजिबर ओफिसिनेट रास्क.*
49		छोटी इलायची	*एलिटेरिया कार्डेमोमम माटन*
50		हल्दी	*करक्यूमा लोंगा एल.*
51	**सब्जी वाली फसलें**	आलू	*सोलेनम ट्यूबरोसम एल.*
52		बंदगोभी	*ब्रैसिका ओलिरेसिया एल. वैर. कबपिटाटा*
53		फूलगोभी	*ब्रैसिका ओलिरेसिया एल. वैर. बोट्राइटिस*
54		लहसुन	*एलियम सटाइवम एल.*
55		भिंडी	*एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस एल.मोयंक*

56		प्याज	*ऐलियम सीपा एल.*
57		बैंगन	*सोलेमन मेलांजेना एल.*
58		टमाटर	*लाइकोपर्सिकन लाइकोपर्सिकम (एल) कार्स्टनएक्स. फार्व.*
59		सब्जी चैलाई	*एमरेंथस ट्राइकलर एल.*
60		पालक	*बीटावल्गेरिस किस्म बंगालेंसिस रॉक्सब*
61		धनिया	*कारिएंड्रम सटाइवम एल.*
62		मिर्च, शिमला मिर्च और पैप्रिका	*कबप्सिकम एनम एल.*
63		मेथी	*ट्राइगोनेला फोइनमग्रेएकम एल.*
64		करेला	*मोमोरिडिका चाम्स एल.*
65		लौकी	*लैगेनेरिया साइसेरेरिया (मोल) स्टैन्डल.*
66		खीरा	*क्यूक्युमिस सैटाइवस एल.*
67		तरबूज	*सिट्रुलस लैंटस (थुनी) मैंस्फ*
68		खरबूजा	*क्यूक्यूमिस मैल्ड एल.*
69		कद्दू	*कुकुरबिटामोंस्केटा डच. एक्सपेयर*
70		तोरई	*लूफा एक्यूटांगुला (एल.) रॉक्सब.*
71		बकला / फेबाबीन	*विसिया फेबा एल. प्रजाति मेजर हर्ज़.*
72		अरबी	*कोलोकेसिया एसक्यूलेंटा प्रजाति एसक्यूलेंटा, कोलोकेसिया एसक्यूलेंटा प्रजाति एंटिकोरम, कोलोकेसिया एसक्यूलेंटा प्रजाति स्टोलोनइफेरुम*
73		भीमाकार अरबी	*क्र्टो स्पेर्मचमिस्सोनीस /सि. मेर्कुसी*
74		जिमीकंद	*अमोर फोफेल्लस पेओनइफफॉलिस*
75	**पुष्पीय पौधे**	गुलाब	*रोज़ा प्रजातियों*
76		गुलदाउदी	*क्राइसैंथेमम एल.*
77		आर्किड	*सिमबिडियम*

78			*डैन्ड्रोबियम*
79			*वैंड़ा*
80			*कब्टलेया लिंड्ल.*
81			*फैलियोनोप्सिस ब्लूम*
82			*ओंसिडियम एसडब्ल्यू*
83			*पैफियोपेडिलम फिट्ज*
84		केली (कब्ना)	*कब्ना एल.*
85		बोगनविलिया	*बोगनविलियाकॉम. एक्सजस.*
86		ग्लेड़ियोलस	*ग्लैडिओलस एल.*
87		गुलनार	*डाइएंथस कबरियोफिलस एल.*
88		रजनीगंधा	*पोलिएंथस ट्यूबरोस एल.*
89		चमेली	*जैस्मीनम ओरिकुलेटम एल.*
90		चमेली / मोंगरा	*जैस्मीनम सैम्बैक एल.*
91		चमेली	*जैस्मीनम मल्टीफ्लोरम एल.*
92		दमस्क गुलाब / जामदानी गुलाब (इत्र)	*रोज़ाडेमोसिना मिल*
93		गेंदा	*टागेटेस प्रजातिया एल.*
94	**औषधीय और सुगंधित फसलें**		*ब्राह्मीबैकोपामोनिएरी एल. पैनेल*
95		इसबगोल	*प्लांटैगोओवाटा फोर्स्क*
96		पुदीना	*मैंथाआर्वेन्सिस एल.*
97		सदाबहार	*कब्थारेंथस रोजियस एल; जी. डॉन*
98		कालमेघ	*एंड्रोग्राफिस पेनिकुलेटा(बर्म.एफ.) वाल. एक्स. नीस*
99		जायफल	*माइरिस्टिका फ्रैगरेंस हाउट.*
100		अंवला / आमला	*एमब्लिका ओफ्फिसिनालिसगार्टन.*
101		नीम	*अज़दिराचता इंडिका ए. जूस्स.*
102		करंज	*पोंगामिया पिन्नाटा (एल.) पिअर.*
103		पान	*पाइपर बेंटले एल.*
104	**वृक्ष, वन और बागानी फसलें**	सरू (कजुरिना)	*कब्सुरीनाइक्वीसेटीफोलिया एल.*
105			*कब्सुरीनाजुंघुहनियाना मिक.*
106		सफेदा	*यूकेलिप्टस कोमालडुलेसिस देहम्ब*
107			*यूकेलिप्टस टेरेटिकोनिस एसएम*

108		चाय	*कब्मेलिया सिनेसिस एल.*
109			*यकब्मेलिया ऐसेमिका*
110			*सी. एसेमिका सप्लासियोकबलिक्स*
111		नारियल	*कोकसन्यूसिफेरा एल.*
112		देवदार	*सदृस देवदार (रॉक्सब.) ज़ीडॉन*
113		चीड	*पिनुसरॉक्स बुरघी सार्जेंट*
114		सुपारी	*एरिका केटिचू एल.*
115		पॉपलर	*पापुलुस डेल्ट्वायड्स एल.*
116	**फलीय फसलें**	आम	*मैंगी फेराइंडिका एल.*
117		सेब	*मैलोस्डोमेस्टिका बोंर्ख*
118		नाशपाती	*पायरेस कम्युनिस एल.*
119		अनार	*पुनिका ग्रेनेटम एल.*
120		अंगूर	*विटिस प्रजाति*
121		नींबू	*सिट्रस औरेंटिफोलिया स्वींगल*
122		संतरा	*सिट्रस सिनेंसिस (एल.) ओस्बैक*
123		मौसमी	*सिट्रस रेटिकुलेटा ब्लांको*
124		केला	*म्यूसा प्रजाति*
125		नोनी	*मोरिंडा सिट्रिफोलिया एल.*
126		बेल	*एइग्लेमार्मेलोंस (एल.) कोरी*
127		जामुन	*सिंजीगियम क्यूमिनी (एल.) स्कील्स.*
128		पपीता	*कबरिका पपाया एल.*
129		चाईनाएस्टर	*कबलिस्टफस चाइनेंसिस(एल.) नीस.*
130		आड़ू	*प्रूनसपर्सिका एल. बाट्स्च*
131		आलू बुखारा	*प्रूनस सैलिसिना एल.*
132		स्ट्राबेरी	*फ्रैगेरिया एनानासन डच.*
133		चेरी	*प्रूनस सेवियम एल.*
134		शरीफा / सीताफल	*एनोना स्क्वेमोसा एल.*
135		खुबानी	*प्रूनस आर्मेनियाका एल.*
136		बेर	*जिजिफस मौरिटियाना लैम्प्क*
137		अमरूद	*सीडियम ग्वायवा एल.*
138		लीची	*लीची चिनेन्सिस सोनं*
139		शहतूत	*मोरुस स.प्रजातिया*
140		चिरौंजी	*बुचन निअलांजन स्पेरंग.*

141	इमली	*टमरइंडस इंडिका एल.*
142 **नकदी फसलें**	बादाम	*प्रूनसडल्सिस (मिल.) डी.ए. वैब*
143	अखरोट	*जुगलां सरेगिया एल.*
144	जटरोफा	*जट्रोफा कर्कस एल.*
145	काजू	*एनाकार्डियम ऑक्सिडेंटेल एल.*
146	शकरकंद	*आइपोमिया बटाटास एल. लम*

तालिका कमांक 2

Name of Crop : Guava
Name of variety : Shruti- 2
Farmer Name : Shri Suresh Chandrawanshi
Block : Pandariya, District : Kabirdha

Sl. No.	Characteristics	States	Notes	Stage of Observation
1	2	3	4	6
QL (+)	Fruit: shape at stalk end	Truncate	3	40
(*)20 QL (+)	Fruit: Prominence of neck	Absent	1	40
(*)21 PQ	Fruit: color of peel/ Pericarp	Yellow white group	1	40
(*)22 QL	Fruit: relief of surface	Smooth	1	40
28	Fruit: colour	Yellow white group	1	40

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

[धारा 18 की उपधारा (1) देखिए]

(आवेदक के लिए अनुदेशः जहां कहीं प्रश्नों के सामने बॉक्स बना हो वहां कृपया सुसंगत बॉक्स पर सही का चिह्न लगाएं तथा अन्य प्रश्नों में स्पष्ट लिखित/टंकित उत्तर दें।)

1. **आवेदकों का पहचान:**

कृषक ☐

कृषक का समुदाय ☐

कृषक का समूह ☐

टिप्पणी – पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 में यथा अंतर्विष्ट कृषकों या कृषकों का समुदाय या कृषकों का समूह द्वारा कृषकों की किस्म के लिए आवेदन या तो संबद्ध पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति या जिला कृषि अधिकारी या संबद्ध राज्य कृषि विश्वविद्यालय या जिला जनजाति विकास अधिकारी द्वारा उपाबंध 1 में पृष्ठांकन के साथ ही प्रस्तुत किया जाएगा।

2. आवेदक (आवेदकों) का/के नाम
यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियां डालें,
   1. क्रम संख्या
   2. नाम
   3. पूरा पता
   4. राष्ट्रीयता

2 (क) कारोबार का मुख्य स्थान या आवेदक का अधिवासः

.....

.....

3. उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे इस आवेदन से संबधित पत्र भेजे जाने है (यदि आवश्यक हो, तो प्ररूप पीवी–1 में प्राधिकार संलग्न करें)

नाम :.....
पता : .....
पिन : .....
दूरभाष : .....
फैक्स : .....
ई–मेल : .....

4. किस्म की साधारण जानकारी :
   क. फसल का सामान्य नाम : .....
   ख. वानस्पतीय नाम : .....
   ग. कुल : .....
   घ. अभिधान (बड़े अक्षरों में)

टिप्पण : वानस्पतीय नाम से अंतराष्ट्रीय कृष्ट पौधा नामकरण संहिता, 2004 द्वारा अनुमोदित वैज्ञानिक नाम अभिप्रेत है।

5. (क) अभ्यर्थी किस्म का वर्गीकरण :

अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

टिप्पण : प्रारूपिक किस्म से ऐसी किस्म अभिप्रेत है जो संकर नहीं है या अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्म नहीं है और पूर्व फसल उत्पादन चक्रों से व्यावृत्त प्रपर्धों करके सामान्यतया प्रवर्धित की जाती है। (उदाहरणार्थ : जिसके अंतगर्त पैतृक परंपरा, समिश्रित किस्में या वानस्पतिक प्रवर्धित किस्में भी है।)

6. कृषक/कृषकों के नाम और पते जिसने/जिन्होंने अभ्यर्थी किस्म को प्रजनित किया है।

नाम :.....
पता : .....
दूरभाष : .....
फैक्स : .....
ई–मेल : .....
राष्ट्रीयता : .....

टिप्पण : एक से अधिक प्रजनकों की दशा में, उपरोक्त प्रपत्र में सभी प्रपत्र

में सभी नामों का (ii), (iii) इत्यादि के रूप में उल्लेख कीजिए। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाएं। यदि कृषकों के समूह द्वारा किस्म विकसित और बनाई रखी, जाती है तो यह उपाबंध–1 में पृष्ठांकित होगी।

7. क्या अभ्यर्थी किस्म का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है या अन्यथा उसका समुपयोग किया गया है।

हां ☐ नहीं ☐

यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित बताएं :
किस्म के प्रथम विक्रय की तारीख : .....
यह देश जहां संरक्षण किया गया है (यदि कोई हो) : .....
प्रथम फाइल करने की बाबत महत्वपूर्ण लक्षण में भिन्नता : (अलग से पन्ना लगाएं)
प्रयुक्त अभिधान : .....
प्रयुक्त व्यापार चिह्न, यदि कोई हो : .....
मैं/हम..... घोषित करता हूं/करते हैं कि प्रजनन, विकास या किस्म के विकास के लिए आनुवांशिक सामग्री या मूल सामग्री विधिपूर्वक अर्जित की गई है।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक (सभ्यक रूप से हस्ताक्षरित और मुहर सहित) प्रस्तुत है :
(ध्यान दीजिए कि जहां कहीं हस्ताक्षर आवेदन या संलग्नक में किए गए हैं वहां ऐसे सब हस्ताक्षर मूल रूप से होंगे):–
(क) पूरा आवेदन :
(ख) कृषक किस्म की दशा में उपाबंध 1 में पृष्ठांकन (यदि लागू हो तो स्तंभ 1 के अनुसार)

उपाबंध - १

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन कृषक किस्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का पृष्ठांकन

1. आवेदक कृषक / कृषक समूह / कृषक समुदाय का / के नाम
क्रम सं. उपनाम सहित नाम / समूह का नाम / समुदाय का नाम
स्थायी पता .....
.....
.....

२. किस्म का अभिधान : .....

३ क (व्याष्टिक कृषक आवेदक को लागू)

मैं घोषित करता हूं कि मैं ..... राज्य के ..... जिसमें ..... स्थानीय निकाय / पंचायत के अंतर्गत आने वाने गांव ..... में पिछले अनके वर्षो से स्थायी किसान रहा हूं और यह कि मैं और मेरा परिवार ..... वानस्पतिक प्रजाति (फसल का सामान्य नाम) की ..... प्रकार के अंतर्गत ..... रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत् संरक्षक है।

३ ख (आवेदक कृषकों के समूह / समुदाय को लागू)

हम घोषित करते है कि हम ..... राज्य के ..... जिले में ..... स्थानीय निकाय / पंचायत के अंतर्गत आने वाने ..... गांव में पिछले अनके वर्षो से स्थायी किसान रहे हैं और यह कि हम वानस्पतिक प्रजाति के प्रकार (फसल का सामान्य नाम) के अंतर्गत ....रूप में अभिधानित अभ्यर्थी किस्म के प्रारंभिक और अनन्य विकासकर्ता और सतत् संरक्षक है। हम अपने समूह / समुदाय की ओर से श्री ..... पुत्र श्री .... (नाम) को जो हमारे समूह / समुदाय का सदस्य है और ..... (पूरा डाक पता) का स्थायी निवासी है, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन अपने पक्ष में अभ्यर्थी किस्म का रजिस्ट्रीकरण करवाने के सीमित प्रयोजन के लिए अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई करने तथा हस्ताक्षर करने के लिए के

लिए प्राधिकृत करते हैं।

तारीख .....
स्थान .....

हस्ताक्षर
कृषक का नाम .....
समूह / समुदाय का प्राधिकृत व्यक्ति
(पृष्ठांकन करने वाले पदाधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर किए जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अभ्यर्थी किस्म आवेदक कृषक / कृषक समूह / कृषक समुदाय द्वारा ही, जो उपर्युक्त गांव के स्वामी निवासी हैं प्रजनित / विकसित और निरंतर संरक्षित है तथा केवल उसी की खेती की जाती है और में आवेदक कृषक / कृषक के समूह या समुदाय से पूरी तरह परिचित हूं तथा यह कि अभ्यर्थी किस्म उनके प्रयासों से ही है। (विकल्प के रूप में अंकित अवांछित शब्दों को काट दीजिए)

तारीख .....
स्थान .....

हस्ताक्षर.....
कृषक का नाम.....

(संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति का अध्यक्ष / सचिव)
अथवा संबंधित जिला कृषि अधिकारी अथवा अनुसंधान निदेशक / संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के विस्तारण का निदेशक
अथवा
संबंधित जिला जनजातीय विकास कार्यालय / आंचलिक परियोजना निदेशक (आईसीएआर)
(कार्यालय खंड़ मुहर सहित)

कृषक पुरस्कार एवार्ड हेतु आवेदन प्रारूप

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-२ 'ए' ब्लाक, एनएएसी काम्पलेक्स, डीपीएस मार्ग,
टोडापुर गांव के सामने
नई दिल्ली-११००१२

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 39 की उपधारा (1) का खंड (iii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण योग्य पौधा संजीन उद्धारक कृषक पुरस्कार /मान्यता के लिए ऐसा कृषक जो भू–प्रजातियों के आनुवांशिक स्त्रोतों और आर्थिक पौधों के जंगली अन्योन्याप्रयी के संरक्षण और चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार में लगे है और इस प्रकार चयनित और संरक्षित सामग्री अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के योग्य किस्मों के जीन के दाता के रूप में उपयोग किया गया है, के लिए आवेदन प्ररूप। वर्ष –

1. आवेदक का नाम
   (स्पष्ट अक्षरों में)
2. डाक का पता (पत्र व्यवहार के लिए)
   ब्लाक
   ग्राम
   डाकघर
   जिला
   राज्य
   पिन
   दूरभाष (यदि कोई हो)
   ई–मेल
   फैक्स
   मेबाइल
3. संरक्षण स्थल (स्थलों) की अवस्थिति (अवस्थितियां)
4. पौधे और किस्में जिनके सरंक्षण के प्रयास किए गए हैं
5. क्या इस प्रकार चयनित और परिरक्षित सामग्री पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्ट्री योग्य किस्मों के जीनों के दाता के रूप में उपयोग की गई है?

(संबद्ध संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)

6. कितनी किस्में (जिसकें अंतगर्त कृषक किस्में, भू–प्रजाति, जंगली अन्योन्याप्रयी और अन्य आनुवांशिक स्त्रोत सम्मिलित है) परिरक्षित की गई?
(पादप/फसल वार ब्यौरे दें)
7. आवेदक द्वारा परिरक्षित किस्मों की कितने क्षेत्र में पौधा रोपण/उगाई की गई ?
(ब्यौरे दें)
8. परिरक्षण की कोई नवीन प्रक्रिया जैसे संवर्धन व्यवहार, भंडारण तकनीक आदि विकसित की गई/अपनाई गई?
(ब्यौरे दें)
9. उन किस्मों के बारे में जानकारी दें जिन्हें परिरक्षित किस्म के साथ विकसित किया गया।
10. परिरक्षित किस्म या किस्मों में पहचान की गई भिन्नता क्या है?
11. संगठन का नाम, यदि कोई हो, जिसने परिरक्षित किस्म में कोई उपयोगी विशेषता की पहचान की है
12. क्या कृषक को किसी अन्य संगठन द्वारा परिरक्षण के प्रयास के लिए पुरस्कार या मान्यता दी गई है?
(ब्यौरे दें)
13. अभिकरणों का नाम (सरकारी या गैर सरकारी संगठन) जो किए गए दावों से परिचित हो।
अ. सरकारी
ब. गैर सरकारी (संगठन)
14. क्या जनता के जैव विविधता रजिस्टर में सामग्री को स्थान दिया गया है।

टिप्पणी :

1. कृपया आवेदन प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
2. आवेदन करने की कोई फीस नही है।
3. विवरण/किसी कालम में जानकारी के लिए अतिरिक्त पृष्ठ उपाबंध के रूप में जोड़ सकते है।
4. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के पदधारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
5. घोषणा संलग्न की जाए।

अनुसूची २

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस–2 'ए' ब्लाक, एनएएससी काम्पलेक्स, डीपीएस मार्ग,
टोडापुर गांव के सामने, नई दिल्ली–110012

घोषणा
नियम ६(२) देखिए

उस व्यक्ति का नाम और पता/दूरभाष सं./ई–मेल जिसके साथ रजिस्ट्रार पीपीवी और एफआरए पत्र व्यवहार कर सकता है:

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) _____

डाक का पता (पत्र व्यवहार के लिए) _____

ब्लाक _____

ग्राम _____

डाकघर _____

जिला _____

राज्य _____

पिन _____

दूरभाष (यदि कोई हो) _____

आवेदन में दी गई जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान, जानकारी ओर विश्वास में सत्य है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यदि प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में नामित कृषक ने इस आवेदन प्ररूप में वर्णित सामग्री का परिरक्षण और सुधार किया है और पौधा किस्म और कृषक अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्टर योग्य किस्मों में जीनों के दाता के रूप में उक्त सामग्री का उपयोग किया गया है।

(संबद्ध पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सचिव सा संबद्ध जिला कृषि अधिकारी या संबद्ध राज्य कृषि विश्वविद्यालय या संबद्ध जिला जनजातीय विकास कार्यालय के अनुसंधान निदेशक द्वारा सत्यापित होगा) ।

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस–2, ए ब्लाक, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर के सामने
नई दिल्ली–110012

'पादप जीनोम परित्राता समुदाय पुरस्कार' के लिए आवेदन

भू–प्रजातियों और अर्थिक पादपों से संबधित वन्य प्रजातियों के अनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण में तथा चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार में लगे हुए किसान समुदाय के लिए और यह कि इस प्रकार चयन और परिरक्षित की गई सामग्री का उपयोग पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, के अधीन रजिस्टर किए जाने योग्य किस्मों में जीनों के दाताओं के रूप में उपयोग किया गया है।

(केवल स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करें)

वर्ष.....

1. किसान समुदाय का नाम
2. डाक का पता (पत्राचार के लिए)
   ब्लाक
   ग्राम / पंचायत
   डाकघर
   जिला
   राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
   पिन
   टेलीफोन (यदि कोई हो)
   ईमेल (यदि कोई हो)
3. आवेदक की प्रास्थिति (रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत)
   (यदि रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या और वर्ष के ब्यौरे दें)

4. उस क्षेत्र के ब्यौरे जिसमें समुदाय संबद्ध रखता है?
5. परिरक्षण स्थल की अवस्थिति
6. पादप/फसल जिसमें संरक्षण या सुधार के प्रयास किए गए हो
   (इस प्रकार संरक्षित या सुधार की गई किस्मों की सूची जिसके अंतर्गत साधारण नाम है, दें)
7. कितनी किस्मों (जिसके अंतर्गत भृ–प्रजातियों और आर्थि पादपों के वन्य संबंधी है) का संरक्षण किया गया है या सुधार किया गया था? (पादप/फसलवार ब्यौरे दें)
8. संरक्षित किस्मों के साथ आवेदक द्वारा कितने क्षेत्र में पादप लगाए गए है/कृषि की गई है
   (किस्मवार ब्यौरे दें)
9. क्या कोई नूतन तरीके, व्यवहार, भंडारण तकनीकों आदि का विकास किया गया है/उन्हें अपनाया गया है।
   (ब्यौरे दें)
10. किस्मों के विकास के लिए अन्य के साथ बांटी गई/विनिमय की गई किस्मों के विषय में सूचना (यदि उपलब्ध हो) दें।
    यदि किसी किस्म को बांटा गया है, कृपया सूचित करें, यदि कोई अंतरण करार किया गया है।
11. संरक्षित किस्म/किस्मों में पहचान किए गए सुभिन्न लक्षण क्या है? (किस्मों के आधार पर ब्यौरे दें)
12. संगठन का नाम, यदि कोई हो, जिसमें संरक्षित किस्मों के उपयोगी लक्षण की पहचान की है।
13. क्या किस्म/किस्मों की जैव विविधता प्रबंध समिति द्वारा रखे गए लोगों के जैव विविधता रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है।
14. क्या किसान समुदाय जिसको ईनाम/पुरस्कार दिया गया है या को किसी अन्य संगठन द्वारा संरक्षण प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है? यदि हां, कृपया ब्यौरे दें।

15. उन अभिकरणों का नाम (सरकारी या गैर सरकारी संगठन) जो किए गए दावे से भिज्ञ है। ;
16. समुदाय का बैंक खाता होने की दशा में ब्यौरे दें:–
    खाते का नामः
    खाते का प्रकार (बचत / चालू):
    बैंक और शाखा का नामः
    आईएफएससी कोडः
    एमआईसीआर कोडः
    पैन नं.:
17. पुरस्कार राशि के उपयोग के लिए प्रस्तावित कार्य योजना की रूपरेखा का संक्षिप्त विवरण दें (15–20 पंक्तियों में)।

टिप्पणी :–

1. कृपया आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
2. किसी स्तंभ में ब्यौरों / सूचना के लिए उपाबंध के रूप में अतिरिक्त पृष्ठ किए जा सकते है।
3. घोषणा और उपाबद्ध किया जाने वाला प्रमाणपत्र।

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर
(किसान समुदाय का प्रतिनिधि)

We are greatly acknowledged to **Dr. Kuldeep Singh**, Director NBPGR, New Delhi and **Dr. R.C. Agrawal**, Registrar General, PPV&FRA, New Delhi.

माननीय कुलपति डॉ. एस.के. पाटिल द्वारा 26 जनवरी 2017 को छत्तीसगढ़ में पी.पी.व्ही. आर.ए. को उच्च स्तर पर स्थापित करने हेतु डॉ दीपक शर्मा को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित करते हुए

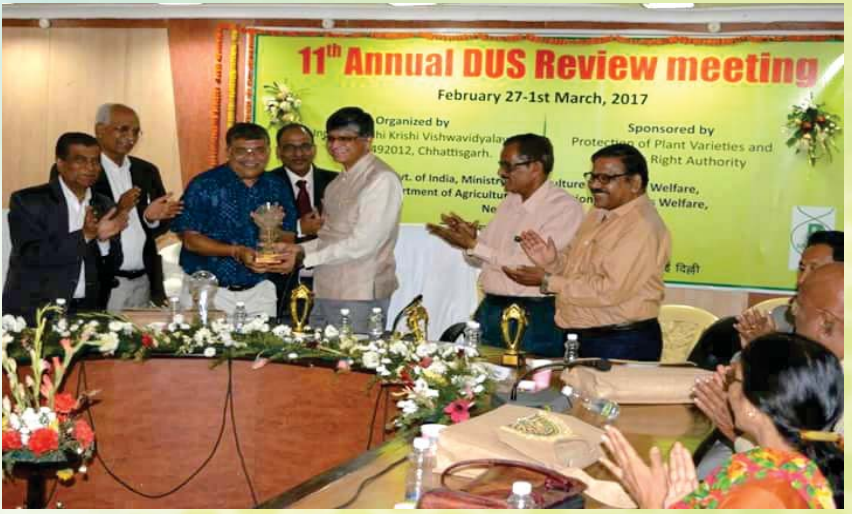

माननीय कुलपति डॉ. एस.के. पाटिल द्वारा डी.यू.एस. बैठक कार्यक्रम में
डॉ. दीपक शर्मा को ''लाईफ ऑफ ट्री'' से सम्मानित करते हुए

पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण द्वारा इं.गां.कृषि विश्वविद्यालय को सर्वाधिक पंजीकरण हेतु एवार्ड

अध्यक्ष पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण द्वारा माननीय कुलपति डॉ. एस.के. पाटिल जी को डी.यू.एस. बैठक कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान